राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी -- साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक
186/18	17.07.2018	31.08.2018

अनुवाग

1. भौंरेलाल पुत्र श्री फकीरचंद जाति जाटव निवासी 52ए पुरूषार्थ नगर–सी जयपुर हाल जाटव बैरवा छात्रावास के पास खुदनपुरी नमन होटल के पीछे अलवर जिला अलवर।

:–प्रार्थी

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति हरिजन निवासी नाहरेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
3. श्रीमान उपपंज़ीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 व 212
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :

1. श्री रणवीर सिंह वकील–प्रार्थी
2. श्री सत्यवीर चौधरी वकील–अप्रार्थी संख्या 1

–::प्रार्थना पत्र निर्णय::–

दिनांकः– 31.08.2018

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। सुना गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की शामलाती कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी है। आराजी का अभी कोई विधिक एवं बहामी बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण शामलाती इन्द्राज का लाभ

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

उठाना चाहते है व हिस्से से अधिक पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। मिन प्रार्थी नौकरी पेशा होने के कारण हर समय पैरवी नहीं कर सकता। अप्रार्थी ने दिनांक 14.07.2018 को नींव खोद दी और वह किसी भी समय निर्माण कार्य चालू कर सकते है। अप्रार्थी बिना विभाजन कराये ही हिस्से से अधिक पर निर्माण करने पर उतारू है यदि वह अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंचित रहना पडेगा और अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी एवं उसके अभिकर्ता या परिजनों को जर्ये हु0ई0 दवामी के पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा में से प्रार्थी के हिस्से में काश्त कार्य में मजाहमत पैदा ना करें, बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य ना करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कोई निर्माण करता है तो उसे मिसमार कर खाली कराया जावे आदि का निवेदन करते हुए विवादित आराजी ख0न0 25 वाके ग्राम नाहरेडी तहसील मुण्डावर ने प्रार्थी के हिस्से में कोई निर्माण ना करें। मौके की यथास्थिति बनाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी संख्या 1 जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि आराजी का अर्सा दराज पूर्व से बहामी बंटवारा हो रहा है और बंटवारा अनुसार ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार से आराजी का विधिक बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है तथा मिन अप्रार्थी बहामी बंटवारे में हिस्से आयी आराजी पर अर्सा दराज से ही रिहायशी मक नात का निर्माण कर रखा है तथा प्रार्थी उक्त वाद में सिविल रिलीफ चाहता है जो अदालत श्रीमान प्रदान नहीं कर सकते। प्रार्थी को निर्माण रूकवाने हेतु सिविल कोर्ट में जाना चाहिए तथा मिन अप्रार्थी सह खातेदार है तथा सहखातेदार के खिलाफ प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही मिन प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी इस वाद की आड में मिन अप्रार्थी का निर्माण रूकवाना चाहता है। जब आराजी का बहामी बंटवारा हो रहा है एवं बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है तो प्रार्थी को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति कारित नहीं है तथा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रार्थी किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हुक्मइम्तनाई पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज किया जावे का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए विवादित आराजी शामलात आराजी होने किसी भी प्रकार से पूर्व में कोई बंटवारा नहीं होने का निवेदन करते हुए मूल दावे के माध्यम से तकासमा बाई नीडस एण्ड बाउंस कराये जाने व खातेजात अलग किये जाकर नक्शा में तितम्बा काटकर श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड कायम हो। तब तक अप्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से में कोई निर्माण नहीं करने ना ही प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा नहीं करने का निवेदन करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन रहा। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए प्रार्थी को निर्माण कार्य रूकवाने हेतु सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था, अदालत हाजा को सहखातेदार को निर्माण नहीं करने से पाबंद करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जब आराजी का बहामी बंटवारा पूर्व से हो रहा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है तो प्रार्थी को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति कारित नही है ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी को हुक्मइम्तनाई से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुने जाने एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में शामलाती आराजी स्पष्ट साबित है तथा पूर्व में बहामी बंटवारे के बाबत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा शामिल पत्रावली नहीं किया गया है। खातेदारी आराजी होने की स्थिति में केवल मात्र यह निवेदन कर दिये जाने कि प्रार्थी को निर्माण कार्य रूकवाने हेतु सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। इस अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं है। गलत निवेदन किया गया है। जब तक सहखातेदारी आराजी अच्छे में से अच्छी बुरी में से बुरी के अनुसार रिकार्डेड विभाजन नहीं हो जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया के बिन्दु पर स्पष्ट रूप से साबित है। और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थी के हक

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

में साबित हो जाने की स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के हक में साबित पाया जाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन दोनो ही बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है तो नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के विरूद्ध साबित होकर बहकप्रार्थी स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है। इस प्रकार यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के प्रथम दृष्टया के प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति वाले तीनो ही बिन्दु विरुद्ध अप्रार्थी होकर बहकप्रार्थी पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत आराजी हा। आराजी ख0न0 25 वाके ग्राम नाहरेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत स्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को मूल दावा के निर्णय तक ताफैसला से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 31/8
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner